अविश्वास प्रस्ताव पर सियासी संग्राम, नपा उपाध्यक्ष पीछे हटीं

नवभारत न्यूज

शिवपुरी 25 अगस्त। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती गायत्री शर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुँच गई है। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में 22 में से 18 पार्षदों ने अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कराए, जबकि इस राजनीतिक जंग में सबसे आगे नजर आने वाली नपा

22 में से 18 पार्षदों ने कराए हस्ताक्षर प्रमाणित

उपाध्यक्ष सरोज व्यास ने चौंकाते हुए हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं कराए। जिन चार पार्षदों ने हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं कराए उनमें उपाध्यक्ष सरोज व्यास, वेदांत सविता, मख्खन आदिवासी और मीना मुकेश बाथम शामिल हैं। बताया गया कि मीना मुकेश बाथम ग्वालियर में इलाज करा रहे हैं। वहीं दो पार्षदों के किडनैप' होने की आशंका पार्षद राजू गुर्जर ने जताई है।

सबसे बड़ा ड्रामा तब हुआ जब उपाध्यक्ष सरोज व्यास तो कलेक्ट्रेट पहुँचीं, लेकिन दस्तावेज जमा नहीं किए। उनके पति रामजी व्यास ने ऐलान किया कि अब वे महाराज सिंधिया की लाइन में हैं। यानी लड़ाई पार्टी की नहीं, अध्यक्ष को हटाने की है। इसी बीच, पार्षद राजू गुर्जर ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि नपाध्यक्ष ने पार्षदों को किडनैप तक करने की कोशिश की। उनका कहना है कि 31 पार्षदों की सूची में शामिल गुप्त नाम उजागर कर दबाव बनाया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष शशि शर्मा ने गैरहाजिर पार्षदों को पैसों में बिके कह डाला और अध्यक्ष पर खरीद-फरोख्त का खुला आरोप लगाया। अब सारी निगाहें फ्लोर टेस्ट पर टिकी हैं। नियम के मुताबिक, विशेष बैठक में पार्षद हाथ उठाकर या गुप्त मतदान से फैसला करेंगे कि वे अध्यक्ष पर विश्वास रखते हैं या नहीं। यदि दो-तिहाई पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ वोट दिया तो गायत्री शर्मा पद से हट जाएंगी, अन्यथा वे कुर्सी बचा लेंगी। पृष्ठभूमि भी दिलचस्प है। 13 जून को पार्षदों ने हनुमान मंदिर में अध्यक्ष हटाने का संकल्प लिया था और 11 अगस्त को कलेक्टर को आवेदन सौंपा। अब जबकि 18 पार्षद खुलकर सामने आ गए हैं, कुर्सी डगमगाती नजर आ रही है। कुल मिलाकर, शिवपुरी नपा की राजनीति अब किडनैपिंग, खरीद-फरोख्त और वफादारी के खेल में उलझ चुकी है, और अंतिम फैसला अब फ्लोर टेस्ट ही देगा।

14 .28 मिली मीटर औसत वर्षा दर्ज

श्योपुर। जिले में 25 अगस्त को 14.28 मिली मीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 25 अगस्त को श्योपुर में 3.40, बडौदा में 35, कराहल में 15, विजयपुर में 8 एवं वीरपुर में10 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है। इस वर्ष दिनांक 01 जून 2025 से अभी तक जिले में कुल 1299.38 मिली मीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इस अवधि तक 1019.40 मिली मीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले की औसत की वर्षा 822 मिली मीटर है।

महिला के साथ मारपीट का मामला दर्ज

श्योपुर। वीरपुर थाना क्षेत्र के बड़ागांव में उधारी के पैसे मांगने की बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में आरोपी ने महिला के साथ मारपीट कर दी जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बड़ागांव निवासी मीरा बाई जाटव ने वीर सिंह रावत से अपनी उधारी के पैसे मांगे तो उल्टा आरोपी ने भंवर धानुक के घर के सामने गालियां देते हुए महिला की मारपीट कर दी, जिससे वह घायल हो गई।

वन परिक्षेत्र पिछोर के अन्तर्गत अवैध उत्खनन के विरूद्ध कार्यवाही

नवभारत न्यूज

कोलारस 25 अगस्त। सामान्य वनमण्डल शिवपुरी के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र पिछोर में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण रखने के लिए प्रभावी कार्यवाही करते हुए श्री सुधांशु यादव वनमण्डलाधिकारी शिवपुरी के निर्देशन एवं श्री आदित्य शांडिल्य उप वनमण्डलाधिकारी करैरा के मार्गदर्शन में ऋषभ बिसारिया वन परिक्षेत्राधिकारी पिछोर द्वारा अपने अधिनस्थ स्टाफ नीरज राजौरिया परिक्षेत्र सहायक मायापुर, कन्हैयालाल आदिवासी वनरक्षक, राजवीर गोयल वनरक्षक, ध्रुव सिंह ठाकुर वनरक्षक एवं विपिन बिहारी बिछौतिया वनरक्षक को साथ लेकर बीट पुरा एवं बीट चरकोला-ब के जंगल में रात्रि गश्त किया। रात्रि गश्त के दौरान बीट पुरा में मध्य रात्रि के समय वन अमले द्वारा एक आयशर 380 ट्रेक्टर को मय लोहे की टायर वाली गाड़ी एवं एक लोहे की टायर वाली टर्बोगाड़ी जो कि,

पत्थर फर्सी से भरे हुए थे, को बीट पुरा के जंगल से पत्थर फर्सी का अवैध उत्खनन कर, अवैध परिवहन करने के अपराध में जप्त कर, वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया।

वहीं बीट चरकोला-ब के जंगल में गश्त के दौरान मध्य रात्रि के समय एक पावरट्रेक ट्रेक्टर को मय लोहे की टायर वाली गाड़ी मिला जो कि, पत्थर फर्सी से भरा हुआ था।

उक्त वाहन को मय पत्थर फर्सी के तत्काल जप्त कर, वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उक्त कार्यवाही के प्रकाश में वनमण्डलाधिकारी शिवपुरी द्वारा वनक्षेत्र से लगे हुए ग्रामों के ग्रामवासियों से यह अपील की जाती है कि, वे वन सुरक्षा में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करें एवं वनक्षेत्र में होने वाली किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल वन विभाग को दें, जिससे कि उक्त घटनाओं के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही कर, होने वाले वन अपराधों पर तत्काल नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

मनरेगा के समस्त संविदा उपयंत्री अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

नवभारत न्यूज

शिवपुरी 25 अगस्त। जिले के समस्त संविदा उपयंत्री मनरेगा अभियंता संघ मध्यप्रदेश के आह्वान पर अपनी 8 सूत्रीय मांगों के निराकरण तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं।

ज्ञात हो कि इसी क्रम में बीती 16 अगस्त से समस्त संविदा उपयंत्री 10 दिन के सामूहिक अवकाश पर थे किंतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार की सुनवाई न होने के कारण मजबूरन प्रादेशिक स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि अब सभी संविदा अभियंता प्रदेश स्तर पर सामूहिक हड़ताल पर जाएंगे संघ द्वारा यह भी निश्चित किया गया है कि जब तक हमारी 8 सूत्रीय मांगों को स्वीकार कर निराकरण नहीं किया जाता है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इसी क्रम में समस्त संविदा अभियंताओं ने जिलाध्यक्ष हरीश शर्मा के नेतृत्व में कलेक्टर रविन्द्र चौधरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हिमांशु जैन, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संपूर्ण जिले से आए संविदा उपयंत्री उपस्थित हुए।

क्लाइमेट-फ्रेंडली माहवारी स्वच्छता पहल 'उड़ान' के तहत किशोरियों को वितरित हुए किट

नवभारत न्यूज

पोहरी 25 अगस्त। शिवपुरी जिले में माहवारी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे 'उड़ान नवाचार अभियान' के अंतर्गत आज संदीपनी स्कूल, पोहरी में आयोजित कार्यक्रम में 200 से अधिक किशोरी बालिकाओं को कपड़े से बने पुन: प्रयोज्य माहवारी स्वच्छता किट वितरित किए गए। ये किट पूरी तरह से पर्यावरण-अनुकूल हैं और दो वर्षों तक सुरक्षित रूप से उपयोग किए जा सकेंगे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संदीपनी स्कूल, पोहरी के प्राचार्य अचल सिंह कुशवाह रहे। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों को यह पर्यावरण-अनुकूल किट देना वास्तव में उन्हें नई उड़ान देना है। इससे वे स्वस्थ रहेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी और समाज में गरिमा के

साथ आगे बढ़ेंगी। कार्यक्रम का संचालन मुख्य वरिष्ठ व्याख्याता श्रीमती स्वाति मिश्रा ने किया।

इस पहल का आयोजन शक्तिशाली महिला संगठन समिति द्वारा किया गया। संयोजक श्री रवि गोयल ने बताया कि संगठन का लक्ष्य आने वाले समय में जिले की लगभग 32,000 किशोरियों तक यह किट पहुँचाना है, ताकि सैनिटरी पैड्स से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को रोका जा सके और बालिकाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा सके।

जागरूकता सत्र के दौरान स्वाति मिश्रा ने बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता, कपड़े से बने पैड्स के उपयोग, धुलाई एवं देखभाल की विधि और इससे जुड़े मिथकों को दूर करने पर विस्तार से जानकारी दी। हेमलता धाकड़ ने कहा कि माहवारी स्वच्छता केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि यह शिक्षा, सशक्तिकरण और जलवायु संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। धर्म गिरी ने बताया कि उड़ान अभियान का मुख्य उद्देश्य शिवपुरी को सैनिटरी पैड कचरे से मुक्त कर प्रत्येक किशोरी को सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण-अनुकूल समाधान उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में अमरदीप श्रीवास्तव ने बालिकाओं को माहवारी पर चुप्पी तोड़ने और इस विषय पर घर व समाज में खुलकर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और स्टाफ ने सक्रिय सहयोग कर कार्यक्रम को सफल बनाया।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की दो शाखाएं और खुलें तब मिलेगी राहत, संचार और वित्त मंत्री को भेजा पत्र

नवभारत न्यूज

बदरवास 25 अगस्त। शिवपुरी जिले के बदरवास ब्लॉक एवं तहसील मुख्यालय में राष्ट्रीयकृत बैंक की एकमात्र शाखा भारतीय स्टेट बैंक की होने और इससे नगर सहित आसपास का बड़ा ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा होने के कारण इसमें हमेशा बहुत अधिक भीड़ रहती है जिससे ग्राहकों को अपने काम कराने में बहुत परेशानी के साथ लाइन लगी होने से उनका समय भी अधिक लगता है। नगर में अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की और शाखाएं खोलने की मांग को लेकर समाजसेवी गोविन्द अवस्थी ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों के महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर बदरवास में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और शाखाएं खोलने की मांग की है जिससे उपभोक्ताओं को समस्या से निजात मिले और उनके काम सहजता से हो सकें।

जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता गोविन्द अवस्थी, मनीष बैरागी, कपिल परिहार ने बताया कि बदरवास नगर में राष्ट्रीयकृत बैंक की एक ही शाखा है जबकि बदरवास विकासखंड मुख्यालय और तहसील केंद्र है। शासन की समस्त हितग्राही योजनाएं बैंक से जुड़ी हुई हैं ।खाताधारक रोजाना बैंक में उमड़ने वाली भीड़ से बहुत परेशान होते हैं और छोटे - छोटे कामों के लिए उनको अधिक समय बैंक में देना पड़ता है। काम का लोड अधिक होने से बैंक कर्मचारी भी काफी परेशान होते हैं। एक ही बैंक होने से खाताधारकों को आ रही परेशानियों से बचाव हेतु बदरवास में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और शाखाएं खोलने की मांग काफी समय से की जा रही है लेकिन अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा अभी तक नहीं खुल पाई है। वहीं जिले के अन्य ब्लॉक मुख्यालयों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की कई शाखाएं संचालित हैं। खाताधारकों को बैंकिंग सुविधाएं सुगमता से मिल सकें इस हेतु केंद्रीय संचार मंत्री,केंद्रीय वित्त मंत्री सहित बैंकों के जीएम को पत्र लिखकर बदरवास में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और शाखाएं खोलने की मांग की गई है।

एक ही बैंक होने से खाताधारक हो रहे परेशान : राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोले जाने हेतु भेजे गए मांगपत्र में बताया कि बदरवास में राष्ट्रीयकृत बैंक की एक मात्र संचालित शाखा भारतीय स्टेट बैंक में हजारों खाताधारक इस बैंक के उपभोक्ता हैं। इनमें व्यापारी, शासकीय, अशासकीय कर्मचारी, किसान, छात्र, पेंशनर सहित आम खाताधारक शामिल हैं। बदरवास बड़ा व्यापारिक नगर है और यहां का व्यापार और मंडी का काम काफी बड़ा है। कर्मचारियों के भी बड़ी संख्या में इस बैंक में खाते हैं लेकिन बैंक में हमेशा भीड़ रहने के कारण इन लोगों के पास इतना समय नहीं रहता कि घंटों बैंक में अपना काम कराने लाइन में खड़े रहें।

अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की खुलें दो शाखाएं, कई वर्षों से चल रही मांग

उपभोक्ताओं को आ रही परेशानियों से बचाव के लिए तथा बैंकिंग सुविधाओं को आमजन तक सुगमता से पहुंचाने हेतु बदरवास में अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की कम से कम दो शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता है जिसके लिए काफी समय से समाजसेवी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। अन्य बैंकों की शाखाएं खुलने से लोगों को सुविधा मिल सकेगी ।नगर में एक ही बैंक होने तथा उसमें भी बहुत अधिक खाते होने से उपभोक्ताओं के साथ साथ बैंक कर्मचारियों पर भी लोड ज्यादा होने से उन्हें भी परेशानी से जूझना पड़ता है ।बैंक उपभोक्ताओं के पास अन्य बैंक की शाखा न होने से कोई विकल्प भी नहीं है।

पुलिस ने किया नकबजनी का पर्दाफाश, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

शिवपुरी 25 अगस्त। थाना बैराड पुलिस ने नकबजनी के अपराध का खुलासा करते हुए मात्र 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गया मशरूका करीब 90 हजार रुपये का बरामद कर लिया है। दिनांक 24 अगस्त को फरियादी मनोज धाकड़ निवासी बरोद रोड बैराड ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर चोरी हो गए हैं। मामले में अपराध क्रमांक 297/2025 धारा 331(4), 305 बीएनएस दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन, एसडीओपी पोहरी आनंद राय के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी रविशंकर कौशल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रोहित धाकड़ पुत्र मनोज धाकड़ उम्र 18 वर्ष निवासी बरोद रोड बैराड एवं एक विधि विरुद्ध बालक को पकड़ा।

आरोपियों से चोरी गया मशरूका बरामद कर

लिया गया। आरोपी रोहित को न्यायालय में एवं विधि विरुद्ध बालक को किशोर न्याय बोर्ड शिवपुरी के समक्ष पेश किया गया। इस सफलता में थाना प्रभारी रविशंकर कौशल, सउनि सोवरन सिंह सिसोदिया, आरक्षक अतरसिंह रावत, जानसिंह रावत एवं राजेंद्र प्रसाद की सराहनीय भूमिका रही।

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिड़ला केपिटल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय- इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात-362 266.
कॉर्पोरेट कार्यालय- 12वीं मंजिल, आर टेक पार्क, निरलोन कॉम्प्लेक्स, हब मॉल के पास, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई-400 063 महाराष्ट्र

मांग सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के नियम 3 के साथ पठित

दिनांक 11.03.2024 की वित्तय योजना के तहत आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के बीच विलय के कारण, जिसे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण - अहमदाबाद द्वारा 24.03.2025 को पारित आदेश में विधिवत दर्ज किया गया है, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उल्लिखित गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में शुरू की गई सभी SARFAESI कार्रवाइयाँ, एकीकृत कंपनी आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड को हस्तांतरित हो जाती हैं.

तद्नुसार, अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है.

अधोहस्ताक्षरी का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता/उधारकर्ता मांग नोटिस/सूचनाओं की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नोटिस की तामील नियमानुसार विपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है. मांग नोटिस/सूचनाओं की विषय-वस्तु नीचे दी गई है:-

उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को, संबंधित नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर, उनके संबंधित नामों के सामने नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए,

कॉलम (घ) में उल्लिखित संबंधित तिथियों से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अतिरिक्त ब्याज सहित, उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हो, के साथ पढ़ा जाए, भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है. ऋण की देय चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, उक्त उधारकर्ता द्वारा क्रमशः निम्नलिखित सुरक्षित संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं.

क्र.	उधारकर्ता का नाम और पता	डिमांड नोटिस तिथि और एनपीए तिथि	अचल संपत्ति का विवरण
1.	**1.** श्री धर्मेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पुत्र जमुना प्रसाद विश्वकर्मा, मिर्जापुर, आंतरी, आंतरी, ग्वालियर, पिनकोड-475001. **इसके अलावा-** श्री धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा, **प्रोपराइटर- मेसर्स हितेश एंटरप्राइजेज,** विश्वकर्मा मंदिर के पास, मिर्जापुर, आंतरी, पिनकोड-475001. **मोबाइल-** 9981607824. **साथ ही-** श्री धर्मेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पुत्र जमुना प्रसाद विश्वकर्मा प्रासंगिक संपत्ति एक मकान है, जिसका क्षेत्रफल 1330 वर्ग फीट यानी 123.54 वर्ग मीटर है, जो वार्ड क्रमांक 05 विश्वकर्मा मोहल्ला नगर पंचायत आंतरी तहसील चिनोर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश, पिनकोड-475001 पर स्थित है. **2.** श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा पुत्री मन्नू लाल, प्रासंगिक संपत्ति एक घर है, जिसका क्षेत्रफल 1330 वर्ग फीट (123.54 वर्गमीटर) वार्ड क्रमांक 05 विश्वकर्मा मोहल्ला नगर पंचायत आंतरी तहसील चिनौर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश पिनकोड-475001 पर स्थित. **इसके अलावा-** श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा पुत्री मन्नू लाल, प्रासंगिक संपत्ति एक घर है, जिसका क्षेत्रफल 1330 वर्ग फीट (123.54 वर्गमीटर) वार्ड क्रमांक 05 विश्वकर्मा मोहल्ला नगर पंचायत आंतरी तहसील चिनौर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश पिनकोड-475001 पर स्थित. **मोबाइल-** 8305625264. ऋण एसी नंबर ABGWASTS000000680794, ABGWASTS000000799315 और ABGWASTS000000668384	14.8.2025 और 3.8.2025 कुल बकाया राशि 13.8.2025 को 25,24,981.04/-	घर की संबंधित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 1330 वर्ग फुट अर्थात 123.54 वर्ग मीटर है, वार्ड क्रमांक 05 विश्वकर्मा मोहल्ला, नगर पंचायत आंतरी, तहसील चिनौर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश-475001 में स्थित है. चारों ओर- पूर्व में- देवकुमार का मकान, पश्चिम में- सड़क, उत्तर में- देवकुमार का मकान, दक्षिण में- नंद कुमार दुबे की संपत्ति.

अतिरिक्त ब्याज के साथ, ऊपर उल्लिखित संबंधित मांग नोटिस में विशेष रूप से बताई गई दर पर अतिरिक्त ब्याज, भुगतान और/या वसूली की तिथि तक हुए आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि. यदि उक्त उधारकर्ता पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति(ओं)/अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर होगी। लागत और परिणामों के संबंध में। उक्त उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के तहत पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति(ओं)/अचल संपत्ति(यों) को हस्तांतरित करने की मनाही है. कृपया ध्यान दें कि यह धारा के तहत एक अंतिम सूचना है. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13(2) के अधीन है. कहने की आवश्यकता नहीं है कि, उधारकर्ता(कों) के विरुद्ध उपरोक्त किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करना उसके अधिकार क्षेत्र में होगा. उधारकर्ता पूरी तरह से अपने जोखिम, जिम्मेदारी और लागत पर.

एसडी/-
स्थान- ग्वालियर, मध्य प्रदेश **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक- 26.8.2025 **आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड**

खाद वितरण को लेकर किसानों का हंगामा, तहसील कार्यालय का घेराव

नवभारत न्यूज

शिवपुरी 25 अगस्त। कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में सोमवार को किसानों को खाद के कूपन वितरित कर गोदाम पर भेजा जा रहा था। इसी दौरान दोपहर में अचानक किसानों को कूपन वितरण बंद कर दिया गया और कहा गया कि खाद खत्म हो गई है। इस पर किसानों में आक्रोश फैल गया।

जब यह जानकारी किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मानसिंह फौजी को लगी तो वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 500 किसानों के साथ उन्होंने पैदल मार्च करते हुए तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी हुई। हंगामे की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत किसानों को कूपन पर्ची का वितरण शुरू कराया, जिसके बाद स्थिति शांत हुई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 28 अगस्त तक सभी किसानों को खाद उपलब्ध करा दी जाएगी। किसानों ने बताया कि वे रात से ही लाइन में लग जाते हैं लेकिन प्रशासन की ओर से पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। आज किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसिंह फौजी ने सैकड़ों की संख्या में पानी के पैकेट उपलब्ध कराए, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली इस दौरान किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसिंह फौजी के साथ ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष खेमराज लोधी, नरेंद्र यादव, सूरज सिंह लोधी, पूर्व सरपंच दुर्गा सी लोधी, महेंद्र कुशवाहा, आकाश परिहार, रानू गोरिया, जितेंद्र सिंह माझी, बृजेश शर्मा सहित कई कांग्रेसजन मौजूद रहे। मानसिंह फौजी ने कहा कि यह सरकार की विफलता है कि किसानों को समय पर खाद तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। समय पर खाद न मिलने से किसानों की फसलें खराब होंगी और उपज कम होगी। ऐसी स्थिति में किसानों के लिए अपनी रोज़ी-रोटी चलाना भी मुश्किल हो जाएगा।

पीएम आवास योजना के अधूरे मकान जल्द पूरा करने की समझाइश दी

शिवपुरी। नगर परिषद रन्नौद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) विष्णु कुमार भदकारिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) 1.0 के अंतर्गत अधूरे मकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों से मुलाकात कर उन्हें जल्द से जल्द अपने मकानों का निर्माण कार्य पूरा करने की समझाइश दी। सीएमओ भदकारिया ने कहा कि शासन की जनहितैषी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पूरी तरह पहुंचे, इसके लिए नगर परिषद लगातार प्रयासरत है। उन्होंने हितग्राहियों से अपील की कि वे समय पर निर्माण कार्य पूर्ण कर लें, ताकि उन्हें आवास योजना का संपूर्ण लाभ मिल सके। आवास योजना शाखा लिपिक मोहित श्रीवास्तव द्वारा अधूरे निर्माण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13(12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अतः देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13(4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियर कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री धर्मेंद्र, श्रीमती किरण रावत, धर्मेंद्र एग्रीवलचर फार्म (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10581455)	पटवारी हल्का संख्या 33, वार्ड संख्या 18, मकान संख्या 71, ग्राम स्यावरी, तहसील इंदरगढ़, जिला दतिया, मध्य प्रदेश, 475675, भारत का वह पूरा हिस्सा. प्रवेश क्षेत्र (वर्ग फुट में)- संपत्ति प्रकार- भूमि_क्षेत्र, निर्मित_क्षेत्र, अति_निर्मित_क्षेत्र, कालीन_क्षेत्र. संपत्ति क्षेत्र- 450.00, 450.00, 100.00, 380.00.	रु. 383342/- (रु. तीन लाख तिरासी हजार तीन सौ बयालीस मात्र)	08-05-2025	21-08-2025
श्री मायाराम, श्री अनीश रावत, श्रीमती अशर्फी, मायाराम मिल्क डेयरी (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10581525)	पटवारी हल्का संख्या 33, वार्ड संख्या 19, मकान संख्या 61, ग्राम स्यावरी, तहसील इंदरगढ़, जिला दतिया, मध्य प्रदेश, 475675, भारत का वह पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्रफल- 1100.00, 1000.00, 800.00	रु. 453790/- (रु. चार लाख तिरेपन हजार सात सौ नब्बे मात्र)	09-05-2025	21-08-2025
श्री नितेश रावत, श्री भीकम सिंह रावत, श्री जितेंद्र सिंह रावत, श्रीमती कल्पना रावत, नितेश मिल्क डेयरी (प्रॉस्पेक्ट संख्या आईएल10559722)	मकान संख्या 61, पीएचएन 33, वार्ड संख्या 17, ग्राम स्यावरी, पोस्ट भर्रोली, इंदरगढ़, दतिया, मध्य प्रदेश- 475675 का वह पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल. संपत्ति का क्षेत्रफल- 900.00, 900.00, 720.00.	रु. 745452/- (रु. सात लाख पैंतालीस हजार चार सौ बावन मात्र)	26-04-2025	21-08-2025

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिस: डी-1, ग्राउंड फ्लोर, बसंत विहार, ग्वालियर-474002 या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस- IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- ग्वालियर, दिनांक : 26-8-2025 **प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**